

परिप्रेक्षः दी

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-उचिताग्र)

क्रमांक प. ८(१०)प्र.सु / अनु.३/२०११

दिनांक: २३-७-२०१५

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकरस्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत लोप से जाति प्रभाव पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, रीषणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनीतिक चुनाव एवं अन्य अमरमत्त कुटिकलियों कर लाभ से रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं तिशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति बंधित रह जाते हैं। इस संघर्ष में कानीनश सर्वोच्च व्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे ग्रामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये हैं। अब ऐसे शंकरस्पद / फर्जी प्रभाव पत्रों को जारी ठोके तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को खोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है-

* जिला स्तरीय

१. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
२. अधिरिक्त खिला कलक्टर (राजस्व)	समन्वयक
३. अधिरिक्त गुड्ड लार्कारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माला), जिला परीचय	सदस्य
४. संस्थित लोप खिला मजिस्ट्रेट / उपलग्न अधिकारी	सदस्य
५. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां

१. समिति की दैरक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की आवेदी तथा समिति में जो भी नामसे प्राप्त होंगे उन सभ ग्रामलों का एक चिकिटर में नियमित रूप से संथान किया जायेगा। तथा समिति की दैरक आयोजित करने के लिये अधिरिक्त खिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होंगे।
२. समिति में शूटे, फर्जी एवं शंकरस्पद जारी प्रभाव-पत्रों के भ्रमते दर्ज किये जा सके तथा समिति जारी किये गये जाति प्रभाव-पत्रों की अपने भत्ते पर एकाधार कर्त्तवी तथा एकाधार उपरान्त रात्याता कम निष्ठार्थ सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रभाव-पत्र की वैधता / अवैधता के संघर्ष में समुचित आदेश दी जाए में जरूरी लगेगी। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत ढाक द्वारा अविलम्ब संघेधित पत्रों को दी जावेगी। नाशालिंग की रियति में उसके माला-पिता / सर्वांग को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अक्षम किया जाना आवश्यक होगा।

3. जाति प्राप्ति पत्रों की सूचना जो परीक्षण करने के समय संबंधित पत्रों द्वारा दायरहस्तीकृत हो जिसका जाति प्राप्ति पत्र है उसको अपना पहले स्थाने हेतु राष्ट्रीय अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी होने जा सकते।
4. जाति प्राप्ति पत्र के संभाग में विवरणकालिकों एवं वह पत्र जिसके विस्तृत शिकायती पीढ़ी एवं विवरणकालिकों द्वारा निर्णय दो असदूषित होने पर वह सभ्य निर जननीय समिति में जिसी समिति के निर्णय दिनांक तो 30 दिनों में अधीक्षण की जा सकती। इस सभ्य निर जननीय समिति द्वारा गठन राज्य दरकार के आदेश क्रमांक प ६(१) प्र०स००५०/अनु-३/२०११ जयपुर दिनांक १८.०३.११ होना किया गया है।
5. दैनिकरपद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवायी करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्रवाई करना।
6. नैरकानुग्री प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।
7. नैरकानुग्री प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सज्जा दुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी, हर्ज करने से नैरस्त्यक (प्राप्ति) संप्रीत करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के पापर्वती में नियोक्ता/ औद्धिक संस्थाओं के संस्था प्रमाण को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पर ऐसी स्थिति करने के आदेश करना।

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
राजसन उप सचिव

दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थी हेतु प्रेषित है:-

- 1) अतिरिक्त शुल्क संधिय, नियमप्रदीव राज्यपाल लोहोदय, राजसनान दरकार जयपुर
- 2) प्रगृह भारत राजिव, भूप्रभासंकी लाप्तीतव, भूरस्था दरकार जयपुर
- 3) निजी संघिय, गुड्डा संघिय, राज्यपाल जयपुर
- 4) अवृद्ध राज्य पाठ्य राज्यपाल ब्रजपौर
- 5) निजी संघिय, राज्य पाठ्यपाल राज्य पाठ्यपाल उत्कर जयपुर
- 6) समस्त प्रगृह राज्य संघिय, भारत राज्य संघिय, राज्यपाल जयपुर
- 7) राजसन विभागाधार, राज्यपाल दरकार, जयपुर
- 8) राजिय, राज्यपाल विफलाना, राज्य संघियालय, जयपुर
- 9) संघिय, राज्यपाल लोक संघ आयोग, राज्यपाल जयपुर
- 10) संघिय, राज्यपाल न्याय एवं अधिकारिता भूकलद, राज्य दरकार कई दिस्ती।
- 11) संघिय, राज्यपाल भूकलद, राज्य सरकार, नई दिस्ती।
- 12) भारत संघीय आमुदाय
- 13) राज्य विज्ञा कलेक्टर
- 14) समास विज्ञा पुस्तिकार्यालय
- 15) संघिय राज्य संघ आयोग / सोर्ट
- 16) उप निदेशक / लालक निदेशक / वित्त विविध एवं राज्य कल्याण अधिकारी, राज्याधिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजसन उप सचिव